xps to pdf trial version. http://www.adultpdf.com

संस्तुतियों का सार

शासन को चाहिए कि :

- *स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को निश्चित समयावधि में दूर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा आवश्यक भौतिक एवं मानव अवसंरचनाओं के सृजन के लिए एक आधार रेखा सर्वेक्षण करायें ;*

- *स्थानीय जनता को सम्मिलित करते हुए नीचे से शीर्ष की ओर नियोजन प्रक्रिया की ओर शीघ्रता से स्थानान्तरित हो साथ ही अनुश्रवण, विशेषकर समुदाय आधारित संस्थाओं के तन्त्र, का सशक्तीकरण सुनिश्चित करें ;*

- *विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम से राज्य स्तर तक क्रियान्वित की जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापों का सक्रिय एवं प्रभावी रूप से सम्मिलन प्रोत्साहित करें तथा सामुदायिक स्वामित्व सम्बन्धित क्रियाकलापों/हस्तक्षेपों के माध्यम से सुनिश्चित करें ;*

- *एसपीएमयू को, वित्त, लेखे, निर्माण एवं क्रय प्रक्रिया के क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए, कुशल मानव शक्ति एवं अवसंरचना उपलब्ध करवाकर सशक्त बनायें ;*

- *सुनिश्चित किया जाये कि एनआरएचएम के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखाबद्ध हों तथा अन्तर–इकाई/अन्तर–निधि प्राप्तियों एवं अन्तरणों का निश्चित समयान्तर पर समाशोधन हों और इस प्रक्रिया की एसपीएमयू स्तर पर केन्द्रीकृत समीक्षा हों ;*

- *सुनिश्चित करें कि राज्य मुख्यालय एवं परिधीय इकाईयों दोनों में ही बैंक खातों की संख्या भारत सरकार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय से सलाह कर, कम की जाये तथा अधिकृत बैंकिंग व्यवस्था से बाहर लेन–देन न हो;*

- *सक्षम संस्थाओं को, प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य आबंटित किये जाने के उद्देश्य से संस्थाओं के चयन के मानकों को दृढ़ किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये ;*

- *भुगतानों के औद्योगिक–मानकों के अनुरूप होने से आश्वस्त होकर गुणवत्ता एवं निष्पादन–कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। शासन को अधिक दरें लगाये जाने, चोरी तथा अधिक व्यय से बचना चाहिए ;*

xps to pdf trial version. http://www.adultpdf.com

- *कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब पर दण्डात्मक धाराओं को लागू किया जाये, जिससे विलम्ब से बचा जा सके तथा शासन अपेक्षित आय से वंचित न हो। शासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यदायी संस्थाओं को दिये गये भुगतान पर अर्जित ब्याज शासन को वापस मिल जाये ;*

- *आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नियमित एवं सांविदिक नियुक्तियों के माध्यम से, समुचित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ;*

- *क्रय एवं लाजिस्टिक शाखाएँ स्थापित कर एसएचएस की क्रय व्यवस्था सुदृढ़ करें, आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से क्रय जोखिमों को कम किया जाये तथा समुचित एवं प्रभावी नियन्त्रण लागू करें ;*

- *धन के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिये खुले, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से क्रय किया जाये। स्पष्ट परिभाषित विशिष्टताओं के सापेक्ष दर अनुबन्ध अथवा कोटेशन/निविदा के माध्यम से क्रय किया जाये तथा क्रय आवश्यकता आधारित एवं उपभोग क्षमता/खपत पर आधारित हो ;*

- *सुनिश्चित करें कि क्रय की गयी वस्तुओं का निर्गमन/ खपत का अंकन स्टाक/निर्गम पंजिकाओं में अंकित किया जाये एवं उनका सावधानीक पूर्वक अनुश्रवण हो ;*

- *संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने, गबन एवं अनियमितताओं की आशंका घटाने के लिए नगद प्रोत्साहन राशि का त्वरित भुगतान एवं लेन–देन के साक्ष्यीकरण की व्यवस्था सुदृढ़ करें ;*

- *प्रतिरक्षण कार्यक्रम की लक्षित उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाता अभियन्त्रणाओं का पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाये ;*

- *बीमारियों का पता लगाने एवं उनकी रोकथाम के लिए निगरानी पर केन्द्रित सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं ;*

- *अशासकीय संस्थाओं (एनजीओ) के कार्यों के सत्यापन की व्यवस्था लागू की जाए ;*

xps to pdf trial version. http://www.adultpdf.com

- *सुनिश्चित करे कि राज्य स्वास्थ्य मिशन की तथा राज्य स्वास्थ्य समिति का शासी निकाय व कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित हों तथा अनुश्रवण पर केन्द्रित एवं त्रुटि संकेतों के प्रति संवेदनशील कार्यवाही हो ;*

- *कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना व्यवस्था यथा एचएमआईएस तथा एचआईएस को अर्थपूर्ण रूप से क्रियान्वित कर निचले स्तर से भारत सरकार के स्तर तक एक विस्तृत, सटीक एवं विश्वसनीय रिर्पोटिंग व्यवस्था लागू करें।*

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 2012

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 12 जनवरी 2012